



CCL

Fuelling Sustainable Growth

CENTRAL COALFIELDS LTD.

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम / कोल इंडिया लि. की एक अनुषंगी कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, राँची 834 001 (झारखण्ड)

CIN : U10200JH1956GOI000581

अधिकारी स्थापना विभाग / Executive Establishment Deptt

फोन : (0651) 2360695 / Extn. 5144, ईमेल : gmee.ccl@coalindia.in

वेबसाइट : www.centralcoalfields.in

क्रमांक- E-1614455 /सीसीएल/ईई/प्रोम./GDMO-Splz.Qual. /E7-E8/24/ 7589

दिनांक: 30/08/2024

कार्यालय आदेश

सी.आई.एल., कोलकाता द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या CIL/C-5A(V)/DPC/E7 to E8-23/Med. Splz. Ql.../B-700 दिनांक:-28/08/2024 के आलोक में निम्नलिखित मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मेडिकल-जीडीएमओ) (Splz.Qual.)/ **ई7 ग्रेड** की पदोन्नति **सीएमएस** (मेडिकल-जीडीएमओ) (Splz.Qual.)/ **ई8 ग्रेड** (वेतनमान रु. 1,20,000-2,80,000) के पद पर तत्काल प्रभाव से की जाती है एवं उन्हें अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर (जो उनके नाम के सामने दर्शायी गई है) पर योगदान देने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

Sl. No	EIS No	Name (Dr.)	Place of posting
01.	90192410	Arvind Kumar (II)	Central Hospital, Dhori

पदोन्नति उपरांत उपरोक्त अधिकारी एक वर्ष की अवधि या सेवानिवृत्ति तक, जो भी पहले हो, परिवीक्षा पर रहेंगे। उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति उनके द्वारा पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।


संबन्धित अधिकारी आगे के कार्य के लिए संबंधित क्षेत्र के महाप्रबंधक को रिपोर्ट करेंगे।

संबन्धित अधिकारी को आदेश जारी करने की तारीख से तीस(30) दिनों के भीतर पदोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करना है अन्यथा प्रोन्नति आदेश रद्द हो जाएगा।

कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिनों में APAR भरना संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

This order shall abide by the ultimate adjudication in the Writ Petition nos. 19607 (W) of 2017 with no. 9754 (W) of 2017 (Bani Singh Rana & Ors. With Pijush Kumar Singha & Ors. Vs CIL & Ors.) before the Hon'ble High Court of Calcutta.

यह आदेश सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति उपरांत जारी किया जाता है।


(अंकुर गौतम)

उप.प्रबन्धक (का-अधि-स्था°)

वितरण:-

- निदेशक (वित्त)/ निदेशक (कार्मिक) / निदेशक (तकनीकी एवं संचालन) / निदेशक (परियोजना एवं योजना), सीसीएल, राँची।
- सीएमडी के तकनीकी सचिव, सीसीएल, राँची।
- निदेशक (कार्मिक) के तकनीकी सचिव, सीसीएल, राँची।
- सीएमएस, सीसीएल, राँची।
- महाप्रबंधक, ढोरी क्षेत्र।
- उप-महाप्रबंधक (कार्मिक), सीआईएल, कोलकाता।
- महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष, प्रशासन / सतर्कता / मानव संसाधन / सिस्टम / अधि.-स्था., सीसीएल।
- क्षेत्रीय वित्त प्रबन्धक/ अमला अधिकारी, ढोरी क्षेत्र।
- मुख्य प्रबंधक/ उप. प्रबन्धक (वित्त - ईपीआर)/ (स्था.), सीसीएल, राँची।
- उप-प्रबन्धक/प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था.), सीसीएल, राँची - आवश्यक अद्यतनीकरण हेतु।
- उप- प्रबंधक (वित्त - सीएमपीएफ), सीसीएल, राँची।
- सहायक. प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था./सीआर), सीसीएल, राँची - कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
- संबन्धित अधिकारी।
- व्यक्तिगत फ़ाइल।